<u>अपील क्रमाँक ए–46 / रासूआ / 06 / विदिशा</u>

श्री मनोज कुमार शर्मा
बीज भंडार के उपर, मार्केटिंग सोसायटी के सामने
विदिशा, मध्यप्रदेश

अपीलकर्ता

विरूद्ध

श्री एच.एस.चौहान, *लोक सूचना अधिकारी*
तहसीलदार ग्यारसपुर
जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

<u>आदेश</u>

<u>(दिनांक 23 मई, 2006)</u>

श्री एच0एस0चौहान लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ग्यारसपुर जिला विदिशा को सूचना का अधिकार, 2005 (अधिनियम) की धारा 20 (1) के अन्तर्गत एक कारण दिखाओं सूचना पत्र दिया था कि क्यों न उनके विरूद्ध धारा 20 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये शस्ति आरोपित की जाये ।

2. श्री चौहान ने लोक सूचना अधिकारी के कारण दिखाओ सूचना का उत्तर अपने पत्र दिनांक 15.04.2006 से को भेजा है जो इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2006 को प्राप्त हुआ है । इस उत्तर पर विचार करने के पूर्व इस प्रकरण से संबंधित तथ्यों का विवरण देना आवश्यक है ।

3. श्री मनोजकुमार शर्मा (अपीलकर्ता) ने एक आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत ग्राम चटोली तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा पटवारी हल्का नं0 14 के खसरा नं0. 708 के 10 बीघा भूमि जिसका नामांतरण दिनांक 17.4.99 को अपीलकर्ता की सहमति,जानकारी,सूचना या स्वीकृति के बगैर कपटपूर्वक श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री नारायण बाबू शर्मा के नाम कर दिया गया था और भूमि का बलपूर्वक कब्जा ले लिया गया था इसकी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 5 दिसंबर, 2005 को अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत मांगी थी । तहसीलदार ग्यारसपुर एवं लोक सूचना अधिकारी ने दिनाक 4 जनवरी, 2006 को कलेक्टर विदिशा को एक पत्र भेजा था और इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने अपीलकर्ता को एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर को दी है । इस पत्र में उल्लेखित किया है –

'' आवेदक के संबंध में कार्यालय में नामांतरण पंजी न होने पर श्री शरीफ खां पटवारी एवं संबंधित पटवारियान से पंजी के संबंध में पूछा गया । दिनांक 09.12.2005 को श्री शरीफ पटवारी हाल हलका क्रमांक–8 व्दारा जवाब प्रस्तुत किया कि वर्ष 98–99 की नामांतरण पंजी

तत्कालीन आ0का0श्री सन्तोष कुमार सक्सेना (वर्तमान में सहायक ग्रेड 2 तहसील कुरवाई) को दी थी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की । तत्पश्चात श्री सन्तोष कुमार सक्सेना व्दारा तहसीलदार कुरवाई के माध्यम से जावक कमांक 1027 दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के व्दारा जवाब मांगा कि कलेक्टर महोदय विदिशा के आदेश कमांक क्यू/ख/8938/दिनांक 28/6/2000 दिनाक 30 /9/2002 को सेवा निवृत्त किये जाने पर आफिस कानूनगो शाखा का सम्पूर्ण अभिलेख श्री कन्छेदीलाल पटवारी (वर्कचार्ज) को दिनांक 30/9/2002 को सौंप दिया था बाद में श्री सुन्दरलाल शर्मा राजस्व निरीक्षक से ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण पटवारी अभिलेख श्री शरीफ खान, श्री गोविन्दराम, श्री हमीरसिंह, श्री जितेन्द्र दुबे, श्री तुषार भद्रे के व्दारा सूची बनवाकर जिला अभिलेखागार में जमा किया गया है । चार्ज देने तक पंजी शाखा में मौजूद थी ऐसा अपने जवाब में लेख किया है ।

जवाब पश्चात् अपर तहसीलदार गुलाबगंज, कन्छेदीलाल कुशवाह पटवारी हल्का 51 एवं प्रवाचक उपखंड कार्यालय ग्यारसपुर व्दारा पंजी पास में न होने का लेख अपने आवेदन एवं पत्र दिनांक 03.01.2006 में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होने पंजी उपलब्ध नहीं होना वर्णित किया है अतः नामांतरण पंजी वर्ष 98–99 कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण आवेदक श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा नक्कास रोड पुलिस कोतवाली के पास विदिशा को अवलोकन कराना संभव नही है और प्रतिवेदन कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया । ''

4. लोक सूचना अधिकारी ने कलेक्टर कार्यालय में जो पत्र भेजा था और जिसकी प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करायी थी इसके आधार पर अपीलकर्ता ने अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 05.01.2006 को प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होने नामांतरण पंजी 17.4.99 की प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत देने की प्रार्थना की थी । इस आवेदन पर अपीलीय अधिकारी व्दारा निर्धारित अवधि में कोई आदेश पारित नहीं किया गया अधिनियम की धारा 19 (6) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत होने पर तीस दिवस के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो अपील प्रस्तुत किये जाने के 45 दिवस से अधिक न हो, आदेश पारित करना चाहिये । अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह अपील दिनांक 5 जनवरी, 2006 को की लेकिन कोई भी आदेश निर्धारित अवधि में पारित नहीं किया गया ।

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी व्दारा आदेश पारित न किये जाने की स्थिति में अपीलकर्ता ने एक व्दितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दिनांक 14 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत की । इस अपील के प्रस्तुत होने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ग्यारसपुर तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर जिला विदिशा को अपीलकर्ता व्दारा जो अपील ज्ञापन प्रस्तुत किया था उसकी प्रति भेजते हुये प्रतिवेदन भेजने के लिये निर्देशित किया गया । इस द्वितीय अपील को प्रस्तुत होने के बाद अपील अधिकारी एव अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा ने दिनांक 7 मार्च, 2006 को आदेश पारित किया और उस आदेश की प्रति के साथ अपना प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग में दिनांक 10 मार्च, 2006 को प्रस्तुत किया । उन्होने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि अपील आदेश में विलंब वांच्छित अभिलेख की तलाश में लग जाने के कारण हुआ है, अपितु वांच्छित अभिलेख अभी भी प्राप्त नहीं हो पाये हैं तलाश किये जाने एवं प्रति दिये जाने

के निर्देश तहसीलदार ग्यारसपुर को दिये गये है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश की कंडिका 3 में निम्नानुसार उल्लेखित किया है –

''उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही होना पाया जाता है किन्तु इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वांच्छित अभिलेख अपीलीय न्यायालयों को प्रेषित किया गया हो । इसकी जानकारी प्राप्त करने में समय लगना स्वाभाविक है लोक सूचना अधिकारी व्दारा आवेदक को दी गई सूचना संभावना पर अवलंबित होना परिलक्षित होता है जो दुर्भावना पूर्ण नही होने से संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही योग्य नही पाता है । लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वांच्छित रिकार्ड एक माह में तलाश करावें । यदि अभिलेख अपील प्रकरणों में प्रेषित किया गया हो तो इसकी जानकारी ली जाये और यदि अभिलेख गुम हो गया है तो गुमाने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा एक माह में की गई कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराना सुनिश्चित करें । ''

6. इसके बाद प्रथम अपील अधिकारी ने अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि –

'' सूचना का अधिकार अधिनियम की मंशानुसार कार्यालय अभिलेखों की प्रतिलिपियां दिया जाना प्रावधानित है जो अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे है अथवा गुम हो गये हैं । जैसा कि प्रकरण की स्थिति है लोक सूचना अधिकारी व्दारा किसी पक्षपातपूर्ण भावना से आवेदक के प्रकरण में कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है फिर भी न्यायहित में इस आदेश की कंडिका के अनुसार आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये जा रहे हैं । ''

7. मूल अपील प्रकरण मे लोक सूचना अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि नामांतरण पंजी क्रमांक 17 दिनाक 17.4.99 पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.7.2000 को तत्कालीन आफिस अस्सिटेंट श्री सन्तोष कुमार सक्सेना को जमा की थी जिसकी पावती की छाया प्रति पटवारी के व्दारा पेश की गई है । श्री सन्तोष कुमार सक्सेना जो कि सहायक ग्रेड–2 ने अपने उत्तर में उल्लेखित किया है कि यह पंजी कन्छेदीलाल पटवारी जो कि वर्तमान में ग्यारसपुर के मोहम्मदगढ हल्के में पदस्थ हैं, को दी गई थी । श्री कन्छेदीलाल से पूछने पर उन्होने बताया कि यह पंजी उसे प्रभार में नही दी गई थी । उसने प्रभार की सूची की छाया प्रति भी अपने उत्तर के साथ पेश की है । तहसीलदार ने यह भी उल्लेखित किया है कि इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर महोदय को दिनांक 4 जनवरी, 2006 के व्दारा कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया था कि नामांतरण पंजी उपलब्ध न होने के कारण नकल नही दी जा सकी है

8 मूल अपील के प्रकरण को मौखिक सुनवाई के लिये दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को रखा गया था । उपस्थिति के लिये लोक सूचना अधिकारी एवं अलग–अलग तहसीलदार ग्यारसपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को नोटिस दिया गया था । इन दोनों अधिकारियों की ओर से अलग–अलग पत्र प्राप्त हुआ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को ग्यारसपुर के प्रवास पर रहेंगें इसलिये वे उपस्थित नही हो सकते

हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त की गई कि वास्तव में माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम उक्त दिनांक को ग्यारसपुर के लिये निर्धारित था । वहां से यह जानकारी मिली कि माननीय मुख्य मंत्री का कोई कार्यक्रम ग्यारसपुर तहसील अथवा जिला विदिशा के लिये उक्त तिथि को नही था । इससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, ग्यारसपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नही हुये और उन्होने माननीय मुख्य मंत्रीजी का सहारा लेकर अनुपस्थिति के लिये असत्य कारण बतलाया है ।

9. इस प्रकरण में आदेश पारित कर लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये गये थे कि ग्राम चटोली तहसील ग्यारसपुर पटवारी हल्का नं0 14 के खसरा क्रमांक 708 के संबंध में दिनांक 17/4/99 के नामान्तरण प्रविष्टि की प्रति अपीलकर्ता को दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को उपलब्ध करायें और उसका प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग में भेजे । इस आदेश के पारित होने के बाद तहसीलदार ग्यारसपुर ने दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को यह जानकारी भेजी कि मांगी गयी पंजी जिला अभिलेखागार में पटवारी हल्का लनं0 15 के बस्ते में मिल गई है और उसकी प्रति अपीलकर्ता को प्रदान कर दी गई है । यह प्रकरण दिनांक 26 अप्रैल, 2006 को निर्धारित किया गया था । अपीलकर्ता उस दिनाक को उपस्थित हुये और उन्होने बताया कि उन्होने दिनांक 17 अप्रैल, 99 की प्रति मांगी थी लेकिन उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर, 99 की प्रति प्रदान की गई है दिनांक 17 अप्रैल, 99 को ट्रान्सफर प्रविष्टि के कारण ही उन्हें जमीन से बेदखल किया गया है जिसकी प्रति उन्हें अभी तक प्रदान नही की गई है अतः उन्हें दिनांक 17 अप्रैल, 99 की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि प्रदान की जाये ।

10. अपीलकर्ता के आवेदन पर पुनः निर्देश प्रदान किये गये कि वह जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान की जाये और साथ ही लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ग्यारसपुर को कारण दिखाओं सूचना पत्र दिया गया था कि क्यों न उन पर अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत शस्ति आरोपित की जाये । श्री एच0एस0चौहान, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, ग्यारसपुर ने इस कारण दिखाओं सूचना पत्र के उत्तर में यह उल्लेखित किया है कि नामांतरण पंजी क्रमांक 17 चटोली की प्रविष्टि तत्कालीन पटवारी ने दिनांक 25.8.99 को की गई थी जिसको नायाब तहसीलदार ने दिनांक 17.12.99 को प्रमाणित किया गया है इस नामांतरण पंजी व्दारा ही अपीलकर्ता श्री मनोज कुमार शर्मा व्दारा धारित खसरा क्रमांक 708 / 1 रकाबा 2.090 अर्थात 10 बीघा भूमि पर अपीलकर्ता का नाम निरस्त करते हुये श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री नारायण बाबू शर्मा को नामांतरण दर्ज किया गया जिसे अमल करते समय पटवारी व्दारा दिनांक 17 अप्रैल, 99 को उल्लेख कर दिया गया था जो पूर्णतः गलत है । जब 25 अगस्त, 99 को पटवारी व्दारा प्रविष्टी की गई तो चार माह पूर्व 17 अप्रैल, 99 को कैसे आदेश पारित किया जा सकता है । उन्होने इस संबंध में वर्ष 94–95 से वर्ष 98–99 के खसरा पंचशाला की नक्ल भी प्रस्तुत की है ।

11. इस प्रकरण में यह बात स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन पत्र जिसमें ग्राम चटोली के नामांतरण पंजी क्रमांक 17 की दिनांक 17 अप्रैल, 99 की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी उसकी ओर न केवल ध्यान नही दिया गया बल्कि जब तक आयोग में कार्यवाही आरम्भ नही की गई तब तक कि उसमें कोई कार्यवाही नही की गयी । अपीलकर्ता को इसकी प्रति दिनांक 4 जनवरी, 2006 को प्राप्त हो

जानी चाहिये थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने संबंधित अभिलेख की प्रमाणिति प्रति को, जो पूरी नही थी वह दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को प्रदान की । लोक सूचना अधिकारी को यह मालूम था कि यदि पटवारी ने गलत प्रविष्टि 17.4.99 को की थी तो उन्हे यह जानकारी भी लिखकर अपीलकर्ता को उपलब्ध करानी चाहिये थी क्योंकि अपीलकर्ता ने दिनांक 17 अप्रैल, 99 की प्रविष्टि की मांग की थी । उन्हें इस प्रकार गम्भीर त्रुटि की जिसका प्रभाव अपीलकर्ता के अधिकारों पर पडा है, इस त्रुटि को सुधारने का भी उपाय नही किया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि 1995–95–98–99 के खसरा पंचशाला की जो सत्य प्रति प्रस्तुत की गयी है और जिसमें विवादित प्रविष्टि की गयी है इसे किसी राजस्व अधिकारी व्दारा अभिप्रमाणित नही किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी ने इस सम्पूर्ण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों का जान बूझकर उल्लंघन किया है और राज्य सूचना आयोग को भी गलत जानकारी देकर एक उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है । इस प्रकरण में सीमित जानकारी प्रस्तुत की गयी है वह भी निर्धारित अवधि के 100 दिनों के बाद प्रस्तुत की गयी है । अतः मुझे यह संतोष हो गया है कि श्री एच.एस.चौहान,तहसीलदार एवं लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उचित कारण के और जानबूझकर के अपीलकर्ता श्री मनोज कुमार शर्मा को मांगी गई जानकारी समय–सीमा में नहीं दी तथा उन्होंने राज्य सूचना आयोग की भी उपेक्षा की है । अतः मैं टी.एन.श्रीवास्तव,मुख्य सूचना आयुक्त,श्री एच.एस.चौहान पर 25,000 रू0 की शास्ति आरोपित करता हूं । यह राशि इस आदेश पारित होने के 30 दिवस के अंदर जमा होनी चाहिए और कलेक्टर विदिशा यह सुनिश्चित करेंगे कि यह राशि जमा कर दी गई है और इस संबंध में प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को भेजेंगे ।

12. इस प्रकरण में श्री शरद श्रोती, अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का आचरण अशोभनीय एवं अपने पद की गरिमा एवं उतरदायित्व के अनुकूल नही रहा है । उन्होने अधिनियम में निर्धारित समय–सीमा में आदेश नहीं पारित किया । उन्होने आदेश तभी पारित किया जब उन्हें राज्य सूचना आयोग से नोटिस प्राप्त हुआ । आदेश में भी उन्होने मातहत् कर्मचारियों के आचरण की रक्षा करने का प्रयास किया गया जिसका कोई औचित्य नही था । इसके अतिरिक्त उन्होने राज्य सूचना आयोग में अनुपस्थित रहने के लिये झूठ का सहारा लिया । अधिनियम में अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही का कोई प्रावधान नही है । इसलिये श्री शरद श्रोती, अुनविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर जिला विदिशा को कारण दिखाओं सूचना पत्र नही दिया जा सकता लेकिन राज्य सूचना आयोग का मत है कि श्री श्रोती अनुविभागीय अधिकारी के दायित्वों को सम्हालने के योग्य नही हैं । इनके आचरण को देखते हुये राज्य शासन इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहेगी ।

13. मैने इस प्रकरण से संबंधित तथ्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख इसलिये किया है कि वर्तमान में भू–अभिलेख प्रशासन की स्थिति अच्छी नही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है । वर्तमान में स्थिति यह है कि पटवारी जो कि भू–अभिलेख से संबंधित रिकार्ड रखते हैं उन पर किसी भी राजस्व अधिकारी का कोई नियंत्रण नही रह गया है । यह भी स्पष्ट है कि सभी राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर, राजस्व से संबंधित विषयों की ओर ध्यान नहीं देते है जिससे वर्तमान में यह स्थिति उत्पन्न हुई है । नामांतरण के जो प्रकरण दिये जाते हैं उनमें संबंधित पक्षों को कोई सूचना नहीं दी जाती है और बिना किसी सूचना के/सहमति के नामान्तरण की कार्यवाही की

जाती है जिससे संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है, जो इस प्रकरण से स्पष्ट है । यद्यपि की यह विषय सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित नही है फिर भी प्रशासन में सुधार की दृष्टि से यह बात राज्य शासन के ध्यान में लाना आवश्यक है । राजस्व सचिव, आयुक्त, भोपाल संभाग एवं कलेक्टर, विदिशा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भू–अभिलेख प्रशासन की ओर ध्यान देकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 एवं अन्य नियमावली जो भू–अभिलेख के संबंध में प्रसारित की गई है उनका न केवल पालन करवायेंगें बल्कि यह सुनिश्चित करेंगें कि जिस प्रकार की गडबड़ी इस प्रकरण में सामने आयी है, उस प्रकार की गडबड़ियां भविष्य में न हो ।

14 इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, आयुक्त, भोपाल संभाग एवं कलेक्टर, विदिशा को भेजी जाये ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
23 मई, 2006